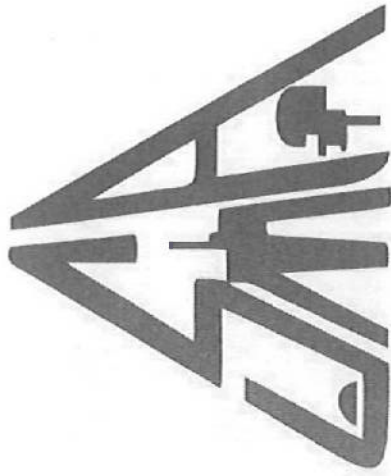




S M A U
INTERNATIONAL
INDUSTRY & TRADE
CHAMBERS

‘बजट संवाद’

PRE-BUDGET DIALOGUE

7th February 2026

Venue: NHPC Guest House, Banbasa
Distt. Champawat (Uttarakhand)

SMAU INTERNATIONAL INDUSTRY & TRADE CHAMBERS

BROAD POINTS :

Industry department/ SIIDCUL/ SIDA

- New Estate Provisions
- Industrial Land Conversion challenges
- State level Udhog Mitra timelines
- Hill area industrial Units Subsidy distribution on time
- Integrated development of state through Innovation & integration with change World orders
- SIDA Map Approval Issues
- Skill development integration through Online mode

Key MSME pain points and suggestions:

Delayed payments by private buyers:

Delayed payments by private buyers and layered supply chains—still lacks hard, enforceable, economy-wide deterrence.

Recommendation:

Extend mandatory e-invoice-linked payment timelines and automated penal interest to all buyers above a threshold, and operationalize faster dispute resolution with strict timelines.

Key MSME pain points and suggestions:

2) Labour law rigidity & skill mismatch
MSMEs face difficulty in complying with complex labour laws, inspections, and frequent changes in rules, while simultaneously struggling to find skilled shop-floor manpower.

Recommendation:

Simplified labour compliance framework for MSMEs
(single annual return, reduced inspections).

Key MSME pain points and suggestions:

3.) Infrastructure costs disproportionately hurt MSMEs. Power tariffs, wheeling charges, logistics costs, and industrial land prices are uniform, ignoring MSMEs' lower bargaining power.

Recommendation:

Differential power tariffs for MSMEs.

Affordable industrial sheds on long-term lease in Tier-2/Tier-3 cities.

4) Insurance & risk protection is weak for MSMEs

MSMEs face high exposure to fire, machinery breakdown, export rejection, and receivable defaults, but insurance penetration remains low.

Recommendation:

Subsidized insurance products tailored for MSMEs.

Credit default and receivable insurance with partial government support.

Key MSME pain points and suggestions:

5) Delayed government refunds & dues hurt MSME liquidity

Refunds related to GST, exports, incentives, and subsidies are often delayed, choking working capital.

Recommendation:

Statutory timelines for refunds with automatic interest payment beyond deadlines.

“MSMEs do not need only access to credit; they need timely payments, simplified compliance, affordable infrastructure, risk protection, and incentives that reward growth rather than discourage it.”

1. Strengthening Subsidy Support for Tourism Industry

Tourism is one of the most important pillars of Uttarakhand's economy and has immense potential to generate employment across hill and plain regions.

However, the present subsidy framework introduced by the Government is not very attractive for investors because:

The incentive is mainly linked to SGST reimbursement earned by the unit.

The benefit is spread over a long duration of **10 years**, making it less impactful during the initial years of project establishment.

1. Contd.. Strengthening Subsidy Support for Tourism Industry

Suggestion

The tourism incentive scheme should be redesigned with a stronger focus on **capital subsidy support**, which can provide immediate relief to entrepreneurs. The subsidy should ideally be disbursed within a maximum period of **five years**, so that investors recover part of their investment early and more tourism projects are encouraged in the state.

2. Improving MSME Subsidy Claim Processing Mechanism

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) form the backbone of Uttarakhand's industrial ecosystem. While policies provide several subsidies, the ground-level experience shows that:

Processing of subsidy claim files is extremely slow. Entrepreneurs face repeated delays due to frequent changes in documentation requirements depending on office officials.

Units are asked to submit documents in multiple rounds instead of a single streamlined process.

Contd..2. Improving MSME Subsidy Claim Processing Mechanism

Suggestion

The Government should implement a **time-bound Subsidy/Claim clearance system** with fixed timelines.

Additionally, a detailed **Standard Operating Procedure (SOP)** should be issued so that industries can submit all required documents **in one shot**, ensuring transparency and reducing discretion at the office level.

3. Introducing Attractive Incentives for the Service Sector

The service sector is emerging as the largest contributor to Employment generation and economic growth.

In Uttarakhand, Service industries such as:

Healthcare,
Education and skill development,
Hospitality, Logistics,
Professional services

Retail and business support have the potential to provide maximum jobs, especially for youth.

However, Uttarakhand still lacks a comprehensive and attractive subsidy scheme for service-based enterprises compared to manufacturing industries.

Contd...3. Introducing Attractive Incentives for the Service Sector

Suggestion

The State Budget should introduce dedicated incentives for service sector units, such as:

- Capital investment subsidy,
- Employment-linked incentives
- Support for start-ups and urban service enterprises

This will help diversify the economy and create large-scale employment within the state.

4. Need for International-Level Sports Infrastructure

Sports development is essential for youth engagement, health, and national representation.

Uttarakhand currently lacks:

International-level stadiums

Modern sports training facilities

Dedicated sports infrastructure for athletes

This limits the potential of talented sportspersons in the state.

Suggestion

The State Budget should allocate funds for development of **international-standard sports stadiums and training centers** across Uttarakhand, which will:

Encourage sports culture

Support athletes in professional training

Boost sports tourism and events in the state



POINTS : AAYUSH

1. Proposal for Budget Support - Promotion of AYUSH Manufacturers in International & National Exhibitions

AYUSH manufacturers who participate in national and international exhibitions should be encouraged and supported through appropriate government initiatives. The State Government and/or the Ministry of AYUSH, Government of India, may consider introducing a suitable policy to provide financial incentives such as partial or full waiver of exhibition stall charges, registration fees, and other related costs. Such support will enable AYUSH manufacturers to showcase their products on global platforms, enhance brand visibility, and strengthen international market access. This initiative will directly contribute to increasing exports of AYUSH products, promoting indigenous manufacturing, and strengthening India's position as a global hub for traditional medicine and wellness.

Accordingly, budgetary provision may be allocated to implement this support mechanism in the upcoming financial year.



POINT S : AAYUSH

2. Proposal for Establishment of Medicinal Herbs Trade Centres in Uttarakhand

Several states across India are endowed with abundant natural resources and valuable medicinal herbs. Considering the favorable agro-climatic conditions, there exists immense potential for the cultivation of Ayurvedic and medicinal herbs, particularly in the State of Uttarakhand.

It is proposed that 3-4 dedicated Medicinal Herbs Trade Centers be established at strategic locations within Uttarakhand. These centers will serve as organized marketplaces where farmers engaged in medicinal herb cultivation can supply their produce, and AYUSH-based industries can procure raw medicinal materials as per their requirements.



POINTS : AAYUSH

2... CONTD...

If this system is developed using modern infrastructure, scientific grading, storage, quality testing, and digital trading mechanisms, it will result in:

- Increased income and indirect revenue generation for farmers Strengthening of the AYUSH and herbal manufacturing sector
- Employment opportunities for rural youth at the village and district level
- Promotion of organized cultivation and sustainable harvesting practices

In view of the above, it is respectfully **proposed** that appropriate policy and budgetary support be considered for the establishment and development of these Medicinal Plant Trade Centres in Uttarakhand and similar potential states.



3. Proposal: Allocation of Vacant Agricultural Land for Herbal & Medicinal Plant Cultivation

The Government of Uttarakhand is respectfully requested to consider allocating vacant and unused agricultural land available across the State for the cultivation and production of herbal and medicinal plants by AYUSH-based industries.

Under an appropriate government policy framework, a structured coordination mechanism may be developed between the State Government and AYUSH industries to promote large-scale herbal cultivation.



POINTS : AAYUSH

4. Establishment of Common Testing Laboratories & AYUSH Cluster Development

The Government of Uttar Pradesh should urgently establish three to four moderately large, state-of-the-art Common Testing Laboratories at strategic locations.

These laboratories will enable small and medium AYUSH units to test their raw materials, medicinal herbs, and finished products, as most units are unable to create in-house testing facilities due to high costs. Availability of such facilities will ensure higher quality standards, enhance regulatory compliance, and significantly boost export potential.



POINTS : AAYUSH

Contd...4. Establishment of Common Testing Laboratories
& AYUSH Cluster Development

Additionally, there is a strong need to develop an integrated **AYUSH Cluster in Uttarakhand**, similar to clusters developed for allopathic pharmaceutical industries.

This will strengthen infrastructure, promote research, manufacturing, and marketing, and accelerate Uttarakhand's vision of becoming a leading **AYUSH-focused state**.



THANK YOU

Dr.(CA) Harindra Kumar Garg
National Chairman
+91 8057875555

Dr. Mohinder Ahuja
Chairman-UDAAN
+91 70602 04646

Er. Vikas Goyal
National General Secretary
+91 98370 44984

SMAU INTERNATIONAL INDUSTRY & TRADE CHAMBERS

Office Address: SMAU Office, 4th Floor, Pentagon Mall, SIDCUL, Haridwar (Uttarakhand)

Phone- +919319259593, 8630851395, 9259313730

Email: smahwr@gmail.com, smauchambers@gmail.com

Website: <http://www.sidculassociation.com>

दिनांक 07 फरवरी 2026 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एन0एच0पी0सी के वनबसा गेस्ट हाउस में हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद हेतु सुझाव :-

जिला पंचायत अल्मोड़ा।

1-ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु जिला पंचायत अल्मोड़ा को राज्यवित्त/केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुदानों में पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुये वृद्धि की जाय।

2-पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने हेतु आबादी वाले क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु जैविक एवं अजैविक पिट का निर्माण कराये जाने हेतु भूमि की व्यवस्था की जाय।

3-ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाईन की व्यवस्था कर प्रत्येक घरों में शौचालय निर्माण कराकर घरों एवं शौचालय के दूषित पानी की निकासी सीवर लाईन के माध्यम से निकट के सीवर प्लांट में की जाय।

4-उत्तराखण्ड की पंचायतों को सशक्त एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला पंचायत अल्मोड़ा के जनपद अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जैसे हवालबाग, रानीखेत, मौरनोला, पोखरखाली आदि स्थानों की रिक्त भूमि, एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुर्ननिर्माण हेतु शासन से बजट की उपलब्धता कराते हुये जिला पंचायत की आय में वृद्धि कर जिला पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

5-सोमेश्वर स्थित जिला पंचायत की रिक्त भूमि पर चाय बागान की खेती कर आय अर्जित की जाय। साथ ही बजट की उपलब्धता पर जिला पंचायत रिक्त भूमि पर बारातघर,पार्किंग स्थल दुकाने विश्राम गृहों का निर्माण कर जिला पंचायत की आय में वृद्धि की जा सकती है।

6-ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु जिला पंचायत का स्वयं का डम्पिंग यार्ड न होने के कारण कठिनाई आ रही हैं। शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत को रिक्त भूखण्ड एवं डम्पिंग यार्ड निर्माण हेतु बजट की उपलब्धता की जाय तो जिला पंचायत की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ जिला पंचायत आत्मनिर्भर बनेगी।

7-जिला पंचायत की नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रतिमाह मानदेय दिये जाने की व्यवस्था किये जाने एवं उत्तराखण्ड की पंचायत प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश,दक्षिण भारत आदि पंचायती व्यवस्था के अध्ययन हेतु भ्रमण में भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

दिनांक 07 फरवरी 2026 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एन0एच0पी0सी के वनबसा गेस्ट हाउस में हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद हेतु सुझाव :-

जिला पंचायत अल्मोड़ा।

भौगोलिक आधार पर बागवानी एवं उच्च आय (Horticulture & High Income)
शीतकालीन/उच्च पर्वतीय क्षेत्र (High Altitude) – अल्मोड़ा के उँचाई वाले जैसे (जागेश्वर,बिनसर,लमगड़ा) आदि क्षेत्रों के लिये “एप्पल व कीवी मिशन” शुरू किया जाय। यहाँ पर इटली की तर्ज पर “हाई-डेंसिटी”सेब के बगीचों के लिये विशेष बजट आवंटित किया जाय।

गर्म घाटी क्षेत्र (Low-lying valleys)

अल्मोड़ा के घाटी के क्षेत्रों जैसे (सोमेश्वर,भिकियासैण) में सफेद और रक्त चंदन की खेती को बढ़ावा दिया जाय। चंदन के पौधों के लिये ‘राजकीय नर्सरी’स्थापित की जाय। साथ ही इसके कठिन कटान कानूनों को किसानों के लिये सरल बनाया जाय। उच्च मूल्य नर्सरी उद्योग –युवाओं को वैज्ञानिक पद्धति से कीवी और चंदन की नर्सरी तैयार करने के लिये रु0 10 लाख तक का स्टार्टअप अनुदान दिया जाय,जिससे वे पौधे का विक्रय कर उच्च लाभ कमा सकें,जो उनके रोजगार हेतु उपयुक्त सिद्ध होगा।

2- उच्च गुणवत्ता की शिक्षा(Quality Education)

‘अल्मोड़ा नॉलेज हब’- अल्मोड़ा को राज्य का ‘एजुकेशन हब’घोषित कर यहाँ दून स्कूल या नवोदय स्कूल की तर्ज पर “सीएम रेजिडेंशियल एक्सीलेंस स्कूल” खोले जाय,जहाँ गरीब मेधावी बच्चों को मुफ्त विश्वस्तरीय शिक्षा मिले।

स्किल यूनिवर्सिटी शाखा- युवाओं को केवल डिग्री नहीं,बल्कि ‘मार्केट रेडी’बनाने के लिये ड्रोन टेक्नोलॉजी,कोडिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग के अल्पकालिक कोर्स शुरू किये जायें।

3-उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था (Advanced Healthcare)

रिमोट डायग्नोस्टिक सेंटर – अल्मोड़ा के दुर्गम क्षेत्रों में ‘पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप’ (ppp)मॉड पर अत्याधुनिक लैब बनाई जाएं,ताकि ब्लड टेस्ट से लेकर MRI तक की रिपोर्ट 24 घंटे में मिल सके।

स्पेशलिस्ट इंसेंटिव –पहाड़ी जिलों में सेवा देने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को ‘हिल अलाउंस’ के साथ विशेष प्रोत्साहन राशि की जाय,ताकि डॉक्टरों की कमी दूर हो।

मोबाइल हेल्थ वैन – कीवी और चंदन उगाने वाले दूरस्थ काश्तकारों के स्वास्थ्य के लिये हर ब्लॉक में डिजिटल ‘मोबाइल क्लीनिक’ की व्यवस्था हो।

चंदन की खेती के लिये वन विभाग की प्रक्रिया का सरलीकरण।

कीवी और सेब के लिये ‘कोल्ड चेन’ और ‘ग्रेडिंग यूनिट’ का निर्माण।

जिला अस्पतालों में रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति के लिये अलग से बजटीय प्राविधान हो।


अध्यक्ष
जिला पंचायत अल्मोड़ा



KUMAUN GARHWAL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY UTTARAKHAND

CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
Phone : (05947) 262478, Fax : (05947) 262078, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

केजीसीसीआई / पी / 259 / प्री-बजट / 2025-26

दिनांक : 07.02.2026

प्रतिष्ठा में,
श्री पुष्कर सिंह धामी जी
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री कार्यालय : 4-सुभाष मार्ग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय : उत्तराखण्ड राज्य के समन्वित विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जारी होने वाले बजट में शामिल किए जाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

मान्यवर,

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बजट पर सुझाव देने के लिए जो हमको आमन्त्रित किया गया है उसके लिए कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की तरफ से मा0 मुख्यमंत्री जी आपका और समस्त अधिकारीगणों का बहुत बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मा0 मुख्यमंत्री जी हम आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे। हमारे लिए अत्यन्त हर्ष की बात है कि हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे उम्मीद है कि हमारी आर्थिक प्रगति को एक नई रफ्तार मिलेगी। इसके अतिरिक्त अभी जो अमेरिका के साथ डील हुई है उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति में और अधिक वृद्धि होगी। उपरोक्त दोनों संधियों का फायदा निश्चित तौर पर हमारे राज्य उत्तराखण्ड को भी मिलेगा।

कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखण्ड के आधारभूत ढाँचे में, जिसके लिए आपकी सरकार निरन्तर कार्य कर रही है, इसमें प्रशंसनीय प्रगति हुई है। किन्तु उत्तराखण्ड का तीव्र गति से विकास किए जाने हेतु इस क्षेत्र में अभी और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

हम केजीसीसीआई की ओर से उत्तराखण्ड राज्य के समन्वित विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किए जाने हेतु आपके समक्ष निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करते हैं—

1. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास :

राज्य के औद्योगिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए अगर हम किसी एक चीज की महत्ता को इंगित करें तो वह है आधारभूत ढाँचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)। इस सम्बन्ध में सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा कि आने वाले बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमारे राज्य की सड़कों की न सिर्फ मरम्मत हो बल्कि चौड़ीकरण के साथ उच्च गुणवत्ता मानकों के आधार पर उनके निर्माण की भी योजना बनाई जाए ताकि वे अगले 20 वर्षों तक जो ट्रैफिक बढ़ना है, उस ट्रैफिक को सम्हाल सकें।

हमारे राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ अत्यन्त विषम हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं तथा हमारा राज्य पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत संवेदनशील है। उत्तराखण्ड के उद्योग लगभग 90 से 100% तक अपना कच्चा माल बाहर से लाते हैं। इसी प्रकार हमारे तैयार उत्पादों के लिए यहां पर बाजार भी नहीं है जिसके कारण लगभग 90 से 100% तक तैयार माल उत्तराखण्ड के बाहर अन्य प्रदेशों में बिकता है। अतः हमारे उद्योगों को कच्चा माल लाने के लिए तथा तैयार माल ले जाने हेतु लम्बी दूरी तक जाने वाले ट्रकों की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ कुमाऊँ के औद्योगिक क्षेत्रों से ही प्रतिदिन लगभग 10,000 से 15,000 ट्रक कच्चा माल लेकर विभिन्न राज्यों से आते हैं एवं इतने ही ट्रक देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे यहाँ से तैयार माल लेकर जाते हैं। ट्रकों के आवागमन की यह एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके लिए हमें एक विस्तृत प्लानिंग करने की आवश्यकता है। हमें सड़कों के सुधार के लिए केवल मरम्मत ही नहीं करनी है बल्कि समुचित रूप से चौड़ीकरण कर उनका उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ निर्माण भी करना है। हमारे यहाँ कुछ बॉर्डर क्षेत्र भी हैं जहाँ पर हमारे उत्तराखण्ड का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से मिलता है। उन सड़कों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हम यहां पर जिक्र करना चाहेंगे काशीपुर-अलीगंज-मुरादाबाद रोड का जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है।

हमारा अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके उस सड़क को लगभग दोगुना चौड़ा करके उच्च गुणवत्तायुक्त मानकों के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार काशीपुर-ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद रोड जिसकी चौड़ाई तो ठीक है लेकिन वह अत्यधिक जर्जर अवस्था में है, उस रोड पर एनएचएआई द्वारा निर्माण कार्य तो कराया जा रहा है लेकिन निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्माण कार्य को तीव्र गति से पूर्ण कराए जाने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त काशीपुर-रामनगर रोड की हालत भी काफी जर्जर है। इस रोड पर कॉर्बेट पार्क जाने वाले पर्यटकों का अत्यधिक संख्या में आवागमन होता है। अतः इस रोड का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाना चाहिए।

2. लॉजिस्टिक/ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का निर्धारण :

मान्यवर, केवल सड़क के माध्यम से ही हम अपने तैयार किये गए माल को देश के विभिन्न हिस्सों में सही लागत के साथ नहीं पहुँचा सकते। हमारे यहाँ से पश्चिम के राज्यों में तैयार उत्पाद भेजने पर उद्योगों की 10 से 15% तक लॉजिस्टिक लागत आती है। इसी प्रकार दक्षिण के राज्यों तक तैयार माल भेजने पर लगभग 12 से 18% तक लॉजिस्टिक लागत आती है।

मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि सरकार को एक ऐसी लॉजिस्टिक नीति बनानी चाहिए जिससे पश्चिम व दक्षिण के राज्यों में तैयार उत्पाद भेजने पर लॉजिस्टिक लागत लगभग 5% कम हो जाए।

इस लॉजिस्टिक नीति के तहत हम नए ट्रकों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 से 100% तक की छूट प्रदान करें जिससे यहाँ नए ट्रकों का रजिस्ट्रेशन होगा एवं माल लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध हो सकेंगे।

इसी क्रम में वेयरहाउसिंग को प्रोत्साहित करने हेतु भी ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। राज्य में अच्छे और बड़े वेयरहाउस होने से कच्चे एवं तैयार माल के परिवहन में बहुत आसानी हो जाएगी।

अतः इस बजट में लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट एवं वेयरहाउस नीति के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

3. अतिरिक्त ऊर्जा क्रय की आवश्यकता एवं पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास :

मान्यवर, यह एक बहुत जटिल समस्या है, जिसका निवारण इस बजट के माध्यम से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य का विद्युत पारेषण एवं वितरण का इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्य की स्थापना के समय से चला आ रहा है। इसके विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण में योजनागत तरीके से निवेश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज स्थिति यह है कि ये पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर लगभग जर्जर अवस्था में आ गया है।

प्रायः देखा जाता है कि मौसम थोड़ा सा भी खराब हो तो लाईनो में फॉल्ट आकर ब्रेकडाउन होने लगते हैं। वोल्टेज में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो “सब-स्टेशन” में फॉल्ट आने लगते हैं। उद्योगों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इससे विद्युतापूर्ति की गुणवत्ता में अत्यधिक कमी आई है।

आज उद्योगों में अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं एवं उनमें बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है। मोटर्स और स्विच-गियर बहुत ही सेंसिटिव हैं। यदि वोल्टेज में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो उद्योगों में पावर ट्रिपिंग हो जाती है जिससे उद्योगों को भारी नुकसान होता है। कई बार तो एक ही दिन में 10 से 15 बार तक ट्रिपिंग्स हो जाती हैं।

मान्यवर, एक आँकड़ा यह कहता है कि अच्छी और निर्बाध बिजली न मिलने की वजह से ज्यादातर उद्योगों में लगभग 10 से 15% तक उत्पादन का नुकसान हो रहा है।

मान्यवर, हमारा मानना है कि हमारे राज्य में सम्पूर्ण “पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर” का किसी अच्छी एजेंसी से टैक्निकल ऑडिट कराना चाहिए तथा उस टैक्निकल ऑडिट के आधार पर एक विस्तृत योजना बना कर राज्य में पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ एवं आधुनिक किया जाना चाहिए ताकि उद्योगों में गुणवत्तायुक्त निर्बाध बिजली की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

हमारे चैम्बर का अनुमान है कि इस कार्य के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये के आसपास का निवेश करने की आवश्यकता होगी।

मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि आगामी बजट में आप इसका प्रावधान करने की कृपा करें और यह कार्य अत्यन्त तीव्र गति से होना चाहिए क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि यह पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कभी भी बैठ सकता है। यदि अचानक ऐसा होता है तो उद्योगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पूरे सिस्टम को पुनः दुरुस्त करने में बहुत समय लगेगा।

4. उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, 2024 में प्रस्तावित संशोधन :

मान्यवर, आज उत्तराखण्ड में विकास की सबसे अधिक सम्भावनाएं अगर किसी उद्योग में हैं तो वह है पर्यटन उद्योग। चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो या गढ़वाल, दोनों क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मान्यवर, आज पर्यटक, चाहे देशी हों या विदेशी, वह उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां उनको अच्छी सुविधाएं मिलें।

प्रायः सभी पर्यटक ऐसी सुविधाओं वाले स्थलों को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी हो। वे अगर सड़क के जरिये आना चाहते हैं तो वे चाहते हैं कि अच्छी सड़क मिले। इससे उनका समय भी बचता है और उनको परेशानी भी नहीं होती।

मान्यवर, अगर हमें पर्यटकों को अपने प्रदेश में आकर्षित करना है जिसकी अपार संभावनाएं हैं तो हमें अपने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देना होगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष नीति लानी चाहिए। अभी जो पर्यटन नीति सरकार की है उसमें कई

प्रकार की खामियाँ प्रतीत होती हैं। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है और उस सब्सिडी को 10 वर्षों में विभाजित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में हमारा आपसे अनुरोध है कि ये 10 वर्ष के लिए न करके इसको पहले 3 वर्षों में ही उद्योगों को दे दिया जाये। दूसरा, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि उद्योगों पर जो एसजीएसटी बनता है, उस एसजीएसटी का 75% सब्सिडी में एडजस्ट होगा और 25% जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी उद्योग की यह सब्सिडी 10 लाख रुपए साल की बन रही है और उसका एसजीएसटी 2 लाख रुपए साल का बन रहा है, तो उसे 2 लाख का 75% यानि केवल रु0 1.5 लाख का लाभ मिलेगा और बाकी 8.5 लाख समाप्त हो जाएंगे।

हमारा अनुरोध है कि उद्योग को पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलनी चाहिए। सरकार इसमें देखे कि केवल एसजीएसटी ही नहीं बल्कि किस प्रकार से उद्योगों को सब्सिडी का पूर्ण लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है— जो ये पर्यटन उद्योग बैंकों से लोन लेते हैं, उनके लोन पर जो ब्याज पड़ता है उसमें 5% सबवेंशन (Subvention) का प्रावधान किया जाना चाहिए। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

5. उद्योगों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का प्रावधान :

मान्यवर, आज से लगभग 20 वर्ष पहले हमारे राज्य में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का भी प्रावधान था लेकिन उसके कुछ वर्षों बाद इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। उस समय यह भी कहा गया कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को ले लिया है। लेकिन मान्यवर, हमारा मानना है कि आज जिस प्रकार से तकनीक विकसित हो गई है एवं आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम बने हुए हैं, तो अब पुनः सरकार को विचार करना चाहिए कि उद्योगों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का प्रावधान हो और उसमें दूरी के हिसाब से लगभग 25% सब्सिडी प्राप्त हो। उद्योगों को इससे लाभ होगा और वे देश के बाकी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे। मान्यवर, अगर बजट में इसका प्रावधान होता है तो इससे राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

6. उद्योगों पर लागू टैक्स, सैस इत्यादि का न्यायसंगत निर्धारण :

मान्यवर, उद्योगों को बहुत परेशानी होती है जब उन पर कई प्रकार के सैस लगा दिये जाते हैं। जब जीएसटी लगा था तब यह कहा गया था कि जीएसटी एक मात्र टैक्स है और बाकी इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन असल में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कई तरह के सैस लगा दिए जाते हैं। ग्राउण्ड वाटर इस्तेमाल करने पर अभी एक वाटर सैस और लगा दिया गया है।

मान्यवर, ग्राउण्ड वाटर पर सैस लगाना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं है, हम इसके विरुद्ध भी नहीं हैं, लेकिन सैस को उचित दर पर लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम उल्लेख करना

चाहेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्राउण्ड वॉटर सैस है, लगभग वही सैस उत्तराखण्ड सरकार ने भी लागू कर दिया है जबकि उत्तर प्रदेश में यह सैस बहुत कम है। मान्यवर, हम यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारी तो मुख्य प्रतिस्पर्धा उत्तर प्रदेश के उद्योगों से ही होती है। अतः हमारा अनुरोध है कि जिस दर से उत्तर प्रदेश में ग्राउण्ड वॉटर सैस लगाया गया है आप भी उसी दर से यहाँ पर यह सैस लागू करें। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी।

7. राज्य में कृषि आधारित उद्योगों पर लागू मण्डी शुल्क/विकास उपकर उत्तर प्रदेश के अनुरूप किए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, उत्तराखण्ड में कृषि आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। इसका मुख्य कारण राज्य में मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की उच्च दरें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक हैं। उत्तराखण्ड के कृषि आधारित उद्योगों को उनका कच्चा माल स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से माल मंगाना पड़ता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाने के कारण वे प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के उद्योगों से पिछड़ जाते हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की दर घटाकर 1.5% कर दी है जबकि उत्तराखण्ड में यह 2.5% है। यूपी में कृषि आधारित उद्योगों को मण्डी शुल्क से छूट दी गई है, जिससे वहां निवेश आकर्षित हो रहा है। साथ ही वहाँ पर किसानों से सीधी खरीद करने पर फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को मण्डी शुल्क/विकास उपकर से पूर्ण छूट मिलती है। इससे उद्योगों की लागत घटती है, किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलता है।

राज्य की मण्डी समितियों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग/प्रोसेसिंग हेतु बाहर से लाए गए कच्चे माल (द्वितीय आवक) पर मण्डी शुल्क/विकास उपकर की मांग की जा रही है तथा उसे वसूलने के लिए उद्योगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

मान्यवर, जो भी प्रसंस्करण/विनिर्माण उद्योग दूसरे राज्यों से कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर देकर इन उत्पादों को उत्तराखण्ड राज्य में प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए लाते हैं, ऐसे कृषि उत्पादों पर पुनः मण्डी शुल्क अथवा विकास उपकर नहीं लगना चाहिए।

8. उद्योगों पर बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (BOCW Act) के तहत लगाए गए श्रमिक उपकर की मांग।

मान्यवर, राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (BOCW Act) के तहत भारी माँग के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिसों में उपकर की गणना किसी ठोस सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण अथवा आधिकारिक सत्यापन के बिना मनमाने ढंग से की गई है। उपकर के आंकलन हेतु प्रयुक्त निर्माण लागत के निर्धारण में पूर्ण पारदर्शिता का अभाव है, जो मांग की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'लैंको अनपरा पावर लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016)' मामले में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि उपकर केवल 'वास्तविक सिविल निर्माण लागत' पर ही लागू होगा। एक बार उत्पादन प्रारंभ होने के बाद वह इकाई फैक्ट्री अधिनियम के तहत आ जाती है और BOCW उपकर के दायरे से बाहर हो जाती है।

अतः उत्पादन शुरू कर चुकीं औद्योगिक इकाईयाँ BOCW उपकर के दायरे से बाहर हैं। यह अधिनियम असंगठित निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए है। एक बार जब कोई इकाई फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत हो जाती है और उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न होती है, तो वह स्वतः ही BOCW अधिनियम की धारा 2(1)(क) के अंतर्गत 'निर्माण कार्य' की परिभाषा से बाहर हो जाती है। स्थापित फैक्ट्रियों पर यह उपकर लगाना अधिनियम के मूल उद्देश्य के विपरीत है और दोहरे कराधान की ओर ले जाता है। मांग नोटिस में उल्लिखित अवधि सीमित अवधि अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) की धारा 3 के तहत निर्धारित समय-सीमा के बाहर है।

अतः आपसे निवेदन है कि इन सभी विधि-विरुद्ध मांग नोटिसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा भविष्य में उपकर आंकलन एवं मांग नोटिस जारी करने हेतु पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लागू किया जाए, ताकि राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के वातावरण को मजबूती मिले।

मान्यवर, हम पुनः इस बात के लिए आपका विशेष धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैम्बर को यह अवसर दिया। राज्य एवं देश के विकास के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, बजट को लेकर आप अत्यन्त संवेदनशील हैं तथा इसके लिए आपके द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए हम आपके प्रति सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन एवं आपके दिशा-निर्देशों में हमारा राज्य निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

हम सभी संकल्पित हैं न सिर्फ अपने राज्य के विकास के लिए बल्कि पूरे देश के विकास के लिए, और निरन्तर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। राज्य के समन्वित विकास हेतु आपका और पूरी राज्य सरकार का सहयोग उद्योगों को इसी तरह मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ हम पुनः आपका धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करते हैं।

आदर एवं आभार सहित

भवदीय



(पवन अग्रवाल)

अध्यक्ष



KUMAUN GARHWAL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY UTTARAKHAND

CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
Phone : (05947) 262478, Fax : (05947) 262078, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

केजीसीसीआई/पी/260/औ0पॉ0/2025-26

दिनांक : 07.02.2026

प्रतिष्ठा में,

श्री पुष्कर सिंह धामी जी

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री कार्यालय : 4-सुभाष मार्ग

देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय : संशोधित GMP शेड्यूल M की जरूरतों को देखते हुए उत्तराखण्ड में फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए एक समर्पित औद्योगिक नीति बनाए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उत्तराखण्ड में फार्मास्युटिकल सेक्टर रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हालांकि, वर्तमान में यह सेक्टर गंभीर नियामक और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना नितान्त आवश्यक है:

☐ **नियामक अपग्रेडेशन की आवश्यकता:**

मान्यवर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने फार्मास्युटिकल मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स को संशोधित गुड्स मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) मानदंडों के तहत शेड्यूल M के अनुसार अपनी मैनुफैक्चरिंग सुविधाओं और प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने का आदेश दिया है।

☐ **इकाईयों पर भारी वित्तीय बोझ:**

मान्यवर, संशोधित शेड्यूल M का पालन करने में काफी पूंजी निवेश लगता है, जो अलग-अलग यूनिट्स के पैमाने और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। MSME फार्मास्युटिकल यूनिट्स के लिए, यह वित्तीय बोझ बिना उचित सरकारी सहायता के उठाना बहुत मुश्किल है।

☐ **अन्य राज्यों द्वारा तुलनात्मक समर्थन:**

मान्यवर, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने GMP शेड्यूल M मानदंडों को पूरा करने के लिए विस्तार या अपग्रेडेशन करने वाली फार्मास्युटिकल यूनिट्स के लिए विशेष रूप से पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है।

☐ **उत्तराखण्ड में सेक्टर-विशिष्ट समर्थन का अभाव:**

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य की MSME नीति-2023 में फार्मास्युटिकल यूनिट्स के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या सहायता प्रदान नहीं की गई है। सेक्टर-विशिष्ट नीतिगत समर्थन की कमी के कारण,



**KUMAUN GARHWAL
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
UTTARAKHAND**

CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
Phone : (05947) 262478, Fax : (05947) 262078, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

केजीसीसीआई/पी/258/औ0वि0/2025-26

दिनांक : 07 फरवरी, 2026

प्रतिष्ठा में,

श्री पुष्कर सिंह धामी जी

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री कार्यालय : 4-सुभाष मार्ग

देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय : राज्य में लागू औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के
छूट दावों का भुगतान कराए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

हमारे कुछ सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी इकाईयों के औद्योगिक पॉलिसियों के अन्तर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन दावों का भुगतान शासन स्तर पर लम्बित है।

औद्योगिक पॉलिसियों के अन्तर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन दावों का निस्तारण करने वाली राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक का आयोजन 11 अप्रैल, 2025 को किया गया था। उसके बाद उक्त बैठक का आयोजन न होने की वजह से उद्योगों के दावों का भुगतान लम्बित है, जिसके कारण उद्योगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक पॉलिसियों के दावों का निस्तारण करने वाली राज्य स्तरीय प्राधिकृत कमेटी की बैठक का आयोजन करा कर सम्बन्धित उद्योगों के दावों का भुगतान यथाशीघ्र कराने की कृपा करें।

आदर एवं आभार सहित

भवदीय

(पवन अग्रवाल)

अध्यक्ष

कृषि छात्रों एवं युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु तीन महत्वपूर्ण सुझाव

1. मुख्यमंत्री कृषि शिक्षा फैलोशिप – कृषि में बी०एस०सी०, एम०एस०सी० एवं पी०एच०डी० करने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में आर्थिक बाधा ना हो के लिये मुख्यमंत्री कृषि शिक्षा फैलोशिप की शुरुआत करना जिसमें बी०एस०सी० के लिये कम से कम रू० पन्द्रह हजार प्रति माह एम०एस०सी० के लिये रू० बीस हजार प्रति माह तथा पी०एच०डी० के लिये रू० पच्चीस प्रति माह का प्रावधान है।
2. कृषि स्नातकों के लिये स्टार्टप अनुदान – कृषि की पढ़ाई पूरी करने के उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य की कृषि एवं औद्यानिकी के विकास के लिये कृषि स्नातकों को अपने स्टार्टप शुरू करने के लिये कम से कम रू० दस लाख प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि श्री अन्न फसलों जैसे महुवा, रागी, कोदो तथा अन्य फसलों जैसे राजमा, गहत, काफल, बेड़ू, कीवी, ड्रेगन फ्रूट का उत्पादन बढ़ सके एवं देश भर में इनकी मार्केटिंग हो सके।
3. युवा चले गांव की ओर जैसी योजनाओं की शुरुआत – उत्तराखण्ड राज्य के विकास के लिये मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन इत्यादि में आवश्यक प्रशिक्षण के आवश्यक इन्टरनशीप लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था ताकि सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोका जा सके।

MS Chauhan
07.02.26
उप. प्र. एस. एस. चौहान
कलमारी
जी.पी. पन्त कृषि एवं जीवोपार्थिक
विश्वविद्यालय
पन्तनगर

— Day Six Telem'ix

Training on Food

— Absorption of food

→ make connection

→ Kell of water

— Pituitary Gland

2- control of Training

1- Down Training course

②

3rd

1-13

1-9

Training & Technology
Development

① Research & Development

— Goal of Food —
— WU HTS 229 —

① Dairy Farm

ST

Self Information
3rd Information

किसानों की आय बढ़ाने हेतु तीन महत्वपूर्ण सुझाव

1. पर्वतीय फसलों हेतु विशेष एम0एस0पी0 योजना – राजमा, महुवा, दालें, अदरक, हल्दी, सगन्ध फसलों के लिये लाभकारी मूल्य की घोषणा।
2. कल्सटर आधारित हाई वैल्यू फसलों का विकास – कीवी, ड्रेगन फूट मसालें, औषधी एवं सगन्ध फसलों के लिये क्षेत्रवार कल्सटर आधारित योजनाएं। उच्च गुणवत्ता के बीज/पौध, सिंचाई, ट्रेलिस तकनीक सहयोग के लिये पर्याप्त बजट आवंटन। कीवी एवं ड्रेगन फूट मिशन में सरकारी अंशदान को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 90 प्रतिशत किया जाना ताकि कीवी एवं ड्रेगन फूट मिशन में छोटे एवं सीमान्त पर्वतीय किसानों की भागेदारी सुनिश्चित हो सके।
3. ब्लाक स्तर पर पोस्ट हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस एवं प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट की स्थापना, लाभ प्राप्त करने के लिये बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने के लिये ब्रांड उत्तराखण्ड के नाम से सीधी बिक्री किया जाना।


11.07.2026
डा० एम० एस० पी०

कुलपति
जी० पी० पंत कृषि एवं पौधोगोष्ठ
शिक्षण विभाग
पन्तनगर

बजट-पूर्व संवाद

1. 2018 में नगर क्षेत्रों में सीमा विस्तार कर उक्त क्षेत्रों में आवासीय भवनों को 10 वर्ष हेतु भवन कर में छूट प्रदान की गई है, इस धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रावधान बजट में किया जाये।
2. नगर निकायों में आय की वृद्धि के लक्ष्य हेतु वेंडिंग जोन की स्थापना हेतु एकमुश्त अनुदान का प्रावधान बजट में किया जाये।
3. सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नगर निकायों में संचालित कूड़ा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाये।
4. नगर निकायों द्वारा संचालित शहरी आरोग्य मंदिरों के संचालन हेतु बजट का प्रावधान किया जाये।
5. वर्तमान परिपेक्ष में तकनीक में हुए विकास एवं उसके दुष्प्रभावों को देखते हुए आम जनमानस के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए नगर निकायों में संचालित आरोग्य प्रशिक्षकों की तैनाती का प्रावधान किया जाये।
6. खेलो इंडिया मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में खेल संरचनाओं के विकास का प्रावधान किया जाये।
7. स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने व निकायों की आय के साधन बढ़ाने के उद्देश्य से EV चार्जिंग स्टेशन व CNG पेट्रोल पंपों की स्थापना।
8. नगर निकायों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं हेतु लाइब्रेरी/डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान।
9. निकाय क्षेत्रांगत स्थित शवदाह गृहों का आधुनिकरण व नई तकनीक के प्रयोग पर जोर हेतु बजट का प्रावधान।
10. स्ट्रीट लाईट संचालन हेतु बिजली बिल में सरचार्ज का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
11. निकाय अंतर्गत होने वाली जमीन रजिस्ट्री में विकास शुल्क का प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।
12. महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु रिटेल मार्ट का प्रावधान।
13. Municipal Bonds एवं Carbon Credit हेतु निकायों को सहयोग।
14. निकायों का मुख्य कार्य कूड़ा निस्तारण है जिस हेतु भूमि की उपलब्धता एक प्रमुख विषय है, निकायों को कड़ा निस्तारण हेतु निःशुल्क सरकारी भूमि के आवंटन का प्रावधान किया जाये।
15. तराई के क्षेत्रों में बरसात से पूर्व नदियों के चैनलाइजेशन हेतु सिंचाई विभाग के माध्यम से बजट प्रावधान किये जायें ताकि बरसात में बाढ़ से बचाव किया जा सके।
16. संजय वन व उसके आस-पास के वन क्षेत्र को Bird Watching साइट के रूप में विकसित करने हेतु बजट प्रावधान।

VIKAS SHARMA
Mayor
Rudra
9837581000

पुष्कर दत्त कापड़ी

पूर्व सदस्य

जिला पंचायत भजनपुर, बनबसा

मो0- 9719073073, 7533994040

निवास ग्राम - बनबसा

पो0 - चन्दनी

वि0ख0 - चम्पावत

जिला - चम्पावत, (उत्तराखण्ड)

पिन - 262310

पत्रांक.....

दिनांक 07/02/2024

सेवा में

श्रीमान मुख्यमंत्री जी

उत्तराखण्ड सरकार

विषय :- डेविड पेन्टर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुदमी के उच्चीकरण एवं राजकीय मान्यता दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उक्त विद्यालय मैं 4 ग्राम सभाओं के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बालक बालिकाएं अध्ययन करते हैं। उक्त विद्यालय में पूर्व सैनिकों, जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्र अध्ययन करते हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में 9 और 10 की कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं जो वित्त विहीन है। इसका भार गरीब जनता पर पड़ रहा है विद्यालय में मैनेजमेंट द्वारा छात्रों से शुल्क लेकर या एनजीओ द्वारा आर्थिक सहायता लेकर शिक्षक रखे जा रहे हैं। महोदय इस विद्यालय के लिए 10 बीघा भूमि दान स्वरूप दी गई थी। उच्चीकरण और राजकीय मान्यता नहीं होने के कारण इस भूमि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है महोदय बनबसा में एकमात्र जीजीआईसी ही राजकीय विद्यालय है अन्य सभी विद्यालय यहां पर अर्ध शासकीय हैं।

अतः महोदय से करबद्ध विनम्र निवेदन है कि उक्त विद्यालय का उच्चीकरण एवं राजकीय करण की घोषणा करने की कृपा करें।

उक्त कृत्य हेतु समस्त ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

निवेदक

Leptu

पुष्कर दत्त कापड़ी
पूर्व सदस्य जिला पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

1990

get provision for Work from Himalaya (new scheme) and Solar

2/2/2026

ni@gmail.com >

2026 9:06:49 AM +0530

पत्र संख्या 254/2026
दिनांक 2/2/2026

"cm-ua"<cm-ua@nic.in>,"cm-uk"<cm-uk@nic.in>

cc "cs-uttaranchal"<cs-uttaranchal@nic.in>,"secy-fin-ua"<secy-fin-ua@nic.in>

Tags Not in Contacts

5046

अनुसंधान (कित-1)

(अच्युत प्रसाद वाजपेयी)
वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
उत्तराखण्ड शासन

दिनांक 05 फरवरी 2026

Online No 538288
5/2/26 J.C.S. Off./2026

हमांशु खुराना)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

श्रीमान् पुष्कर सिंह धामी जी
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड।

Secy fin (3)

विषय- उत्तराखंड में रोजगार, पर्यटन और बिजली क्षेत्र में बड़े लक्ष्य पाने को अगले बजट सत्र में नई वर्क फ्राम हिमालय-आईटी नीति लांच करने और सौर ऊर्जा विस्तार के लिए पर्याप्त धन आवंटन का अनुरोध।

06/2/26

महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधन बेहद सीमित हैं। असिंचित भूमि और जंगली जानवरों के आतंक से परंपरागत कृषि घाटे का सौदा साबित हो चुकी है। बेरोजगारी पलायन का प्रमुख कारण है। नीचे प्रस्तावित नई आईटी नीति और मौजूदा सौर ऊर्जा योजना के विस्तार से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना भी साकार हो सकेगा।

1- नई आईटी नीति: वर्क फ्राम हिमालय-

इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले सुदूर अंचलों तक हाईस्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचानी होगी। किसी गांव या क्षेत्र के विकास का प्रमुख मानक अब हाई स्पीड इंटरनेट बन गया है। केंद्र सरकार की भारत नेट योजना से इसके लिए अतिरिक्त बजट या विशेष पैकेज हासिल किया जा सकता है। लागत कम रखने के लिए आईटी पार्क जैसे इंफ्रा के बजाय प्रारंभिक तीन वर्ष में किराये के मकान, पंचायत घर, बंद स्कूलों और होम स्टे में वर्क स्टेशन बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार रिमोट पर कर्मचारी भेजने वाली कंपनियों और स्थानीय मकान मालिकों, होम स्टे संचालकों को इंसेंटिव दे। कम्युनिटी मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ के लिए स्थानीय युवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। आईटी कंपनियों और पेशेवरों को हिमालय की खूबसूरत वादियों में महानगरों के मुकाबले वर्क स्टेशन, दफ्तर और आवास कम खर्च पर उपलब्ध हो जाएंगे। ट्रैफिक और प्रदूषण की जगह सुंदर और शांत वातावरण मिलेगा। पहले वर्ष में बजट के

11/11/26

11/11/26

13/11/26

उप सचिव

5/2/26

वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-उत्तराखण्ड शासन

Secy (D) Fin

06/2/26

वरिष्ठ निजी सचिव-प्रजामा और वित्त, वन एवं पर्यावरण विभाग

of 2 उत्तराखण्ड शासन

अनुसार कुछ जिलों के क्षेत्र विशेष को आईटी हब बनाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। बाद में सभी जिलों में आईटी पार्क बनाकर इस योजना का विस्तार वि जा सकता है।

2- सौर ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार-

सरकार की सौर ऊर्जा नीति के अच्छे परिणाम आए हैं। इसे रोजगार के एक अच्छे साधन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में सोलर प्लांट लगाने के लिए बिजली सब स्टेशन और उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों का बुनियादी ढांचा नहीं है। इस कारण योजना चुने हुए क्षेत्रों में ही सफल हो पा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में तीन-तीन नए बिजली सब स्टेशन और 20-20 उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित करने की आवश्यकता है। एक साथ बजट की उपलब्धता नहीं होने की सूरत में पहले सीमान्त एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में ढांचागत सुधार करके इन जिलों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जा सकती है। हर वर्ष चार से पांच जिले लेकर तीन साल में लक्ष्य पूरा हो जाएगा। धूप वाले खेतों में फसल की जगह बिजली पैदा करने से गांवों में रोजगार सृजित होगा और राज्य बिजली के मामले में जल्द आत्मनिर्भर हो सकेगा।

प्रदेश के व्यापक हित में उपरिलिखित गेम-चेंजर योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान करवाने की कृपा कीजिएगा। आभार मानूंगा।

सम्मान सहित

(गिरीश गुरुरानी)

पत्रकार

संपर्क- 7060166658

प्रतिलिपि-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखंड।
- 2- वित्त सचिव, उत्तराखंड।

कार्यवृत्त : बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम, बनबसा

सचिव (वित्त) / निदेशक (बजट), वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 247 / 37 / E-46661 / बजट / 2026 दिनांक 19.01.2026 के क्रम में मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2026 को हितधारकों के साथ एन० एच० पी० सी०, बनबसा गेस्ट हाउस में आयोजित "बजट पूर्व संवाद" कार्यक्रम का कार्यवृत्त निम्नवत है।

1. "बजट पूर्व संवाद" कार्यक्रम का संचालन श्री मनमोहन मैनाली, अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, समस्त गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं आर्थिकी के तीनों घटकों – कृषि (प्राथमिक क्षेत्र), उद्यमी (द्वितीय क्षेत्र) एवं सेवा (तृतीय क्षेत्र) से सम्बन्धित सभी हितधारकों एवं सभी सचिव स्तरीय / जिला स्तरीय अधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।
2. "बजट पूर्व संवाद" कार्यक्रम में श्री दिलीप जावलकर, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड के द्वारा बजट के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में विगत 05 वित्तीय वर्षों में कैपिटल आउटले में वृद्धि और राज्य जी०एस०डी०पी० में हुई बढ़ोतरी को एक बढ़ी उपलब्धि बताया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 16वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासन को मज़बूत करने के लिए अनुदान में 93 प्रतिशत की औसत वृद्धि की सिफारिश की है।
3. उन्होंने यह भी अवगत कराया कि "बजट पूर्व संवाद" कार्यक्रम द्वारा योजनाओं को कागज़ से ज़मीन तक जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य यही रहता है कि बजट केवल "खर्च का लेखा-जोखा" न रहे, बल्कि विकास, रोज़गार, सामाजिक न्याय और राजकोषीय अनुशासन इन चारों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला स्पष्ट रोडमैप बने। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम पर्वतीय भौगोलिक चुनौतियों और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए "हर रुपये का अधिकतम सार्थक उपयोग" सुनिश्चित कर रहे हैं। वित्त विभाग की भूमिका केवल संसाधन बाँटने की नहीं, बल्कि राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों का सबसे न्यायपूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की है। इसी उद्देश्य से बजट निर्माण के लिए विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, विभिन्न योजनाओं के परिणामों की समीक्षा की है, और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समग्र अध्ययन किया है। साथ ही महोदय की विभिन्न उपस्थित अधिकारियों से अपेक्षा है कि कार्यक्रम में प्राप्त होने वाले सुझावों का त्वरित संज्ञान लेते हुए तथा आवश्यक परीक्षण करने के बाद उन्हें वित्त विभाग को यथाशीघ्र देंगे।
4. टेबल-1 पर उपस्थित विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में निम्न सुझाव दिए गए:

- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु अनुदान में वृद्धि करना।
- ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन के लिए कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करना।
- सीवर लाइन की व्यवस्था और शौचालय का निर्माण करना।
- पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए रिक्त भूमि का उपयोग करना।
- चाय बागान की खेती और डंपिंग यार्ड का निर्माण करना।
- जिला पंचायत सदस्यों को मानदेय और अध्ययन भ्रमण की व्यवस्था करना।
- चंदन की खेती को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया।
- स्टार्टअप उद्यान और रक्तचंदन खेती से नवाचार, रोजगार सृजन, जैव-विविधता संरक्षण व ग्रामीण आय में वृद्धि का भी सुझाव दिया गया।
- युवाओं और उत्पादों को बाज़ार-तैयार बनाने हेतु ड्रोन तकनीक व AI अध्ययन को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया।

6102

अपर सचिव (वित्त-1)

(अच्युत प्रसाद बाजपेयी)
वरिष्ठ प्रमुख निदेशक सचिव
उत्तराखण्ड शासन

581
18/2

191/XXV/14/26
B.C.B.
16/2/26

5. टेबल-2 पर उपस्थित महापौर पिथौरागढ़ द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में निम्न सुझाव दिए गए:-

- नगर निगम के बजट और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।
- बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते सोलर पैनल लगवाने के लिए अनुरोध किया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। **भवनों में सोलर लाइट** से ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया।
- पर्वतीय क्षेत्रों में **MRI सुविधा** से त्वरित, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य जांच का सुझाव दिया गया।
- लोक निर्माण विभाग की रोड और नालियों के रखरखाव के लिए अनुरोध किया गया।
- **रजिस्ट्री शुल्क में से कुछ प्रतिशत निगम को देने** के लिए अनुरोध किया गया।

6. टेबल-3 पर उपस्थित पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा **कृषि विकास** के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिए गए :-

- राज्य में बागवानी और **वैल्यू क्रॉप्स** पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई।
- पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करने के लिए उपयुक्त **फूड प्रोसेसिंग** पर ध्यान दिए जाने हेतु सुझाव दिया गया।
- ह्यूमन रिसोर्स (**मानव सम्पदा**) को **ट्रेनिंग देने** के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी द्वारा विशेष प्रयास किए जाने की आशा व्यक्त की गई।
- राज्य में **फेलोशिप** को बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई।

7. टेबल-4 पर उपस्थित **उद्योग विभाग** के प्रतिनिधि श्री पवार द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग विकास के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिए गए :-

- पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग विकास के लिए अनुरोध किया गया कि जिन स्थानों पर जमीन खाली है वहां अधिकतम उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे स्थानीय लोगों को पर्याप्त रोजगार मिल सके एवं स्थानीय पलायन को रोका जा सके।
- अल्मोड़ा, पौड़ी और अन्य पर्वतीय जिलों में उद्योग विकास के लिए अनुरोध किया गया।
- उद्योगों के कॉन्ग्रेस में स्लो इवोल्यूशन की समस्या का समाधान करने के लिए अनुरोध किया गया।
- लीसा उद्योग में 2 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के दर से जमा किए गए पैसे का समाधान करने के लिए अनुरोध किया गया।

8. टेबल-5 पर उपस्थित **उद्यान विभाग** के प्रतिनिधि द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में निम्न सुझाव दिए गए :-

- कीवी, **ब्लू बैरीस** एवं अन्य फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया गया। (**Mission Blueberry**)
- उत्तम कृषि के लिए तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों से मदद लेने के लिए सुझाव दिया गया।
- किसानों को कारोबार शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया।
- कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को भी **प्रशिक्षण** देने का सुझाव दिया गया।
- **घेरबाढ़ के लिए जालीदार इस्पात** का उपयोग करने के सुझाव दिए गए।
- सब्सिडी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया ताकि फल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।
- दूर दराज के इलाकों के काश्तकारों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया ताकि काश्तकारों को उचित कीमत मिल सके।

9. टेबल-6 पर उपस्थित **महिला एवं बाल विकास विभाग** की प्रतिनिधि श्रीमती माया महर द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में निम्न सुझाव दिए गए :-

- राज्य के प्रत्येक जनपद में **ट्रेनिंग सेंटर** बनाए जाएं ताकि महिलाएं आसानी से ट्रेनिंग ले सकें।
- महिलाओं को **ब्याज मुक्त ऋण प्रदान** करें ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

- हॉस्पिटलों में कैंटीन स्टाफ में विभिन्न स्वयंसहायता समूह (SHG) की महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया गया, ताकि महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सके।

10. टेबल-7 पर उपस्थित सी०ए० श्री मित्तल द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में निम्न सुझाव दिए गए:-

- एम०एस०एम०ई० को वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया गया। (**MSME Support Bill**)
- **PAN / GST आधारित व्यापारियों की लिंगिंग** कर पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जीवाड़ा रोकने एवं निगरानी सुदृढ़ करने हेतु लागू किए जाने के सुझाव दिए गए।
- "मेक इन उत्तराखंड, सर्व इन उत्तराखंड" ("**Make in Uttarakhand**" and "**Serve in Uttarakhand**") को बढ़ावा – स्थानीय उद्योग एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपनाए जाने के सुझाव दिए गए।
- **उपभोक्ता डिजिटल डिस्काउंट योजना (Consumer Digital Discount Scheme)** – डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने एवं उपभोक्ता लाभ सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए जाने के सुझाव दिए गए।
- सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट करने का सुझाव दिया गया जिससे कंज्यूमर इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके।
- कॉमर्शियल एपलिकेशन बनाने के सुझाव दिए गए जिससे बिजनेस और ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिल सके।

11. टेबल-8 पर उपस्थित पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में निम्न सुझाव दिए गए :-

- **हार्डटेक पर्वतीय पार्किंग व्यवस्था** यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटक सुविधा बढ़ाने हेतु विकसित किए जाने के सुझाव दिए गए।
- **ऑफबीट गंतव्यों हेतु इंक्रेडिबल कनेक्टिविटी योजना (Incredible Connectivity for Offbeat Destinations)** – दूरस्थ क्षेत्रों की पहुंच बढ़ाकर पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के सुझाव दिए गए।
- **सुरक्षा सहित ट्रेकिंग ट्रेल्स का विकास** – पर्यटकों की सुरक्षा, सुव्यवस्थित ट्रेकिंग एवं सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के सुझाव दिए गए।
- राज्य में हैली सेवा और बाईपास का अधिकतम निर्माण किया जाए।
- राज्य में सस्तेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया गया।
- राज्य में छोटे टूरिज्म स्थलों को विकसित करने का सुझाव दिया गया।
- पर्यटन से स्थानीय लोगों को जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने का सुझाव दिया गया।
- नेचर टूरिज्म और ट्रेकिंग को बढ़ाने का सुझाव दिया गया।

12. इसके अतिरिक्त विभिन्न जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों एवं हितधारकों द्वारा बजट पूर्व संवाद में निम्न सुझाव दिए गए :-

- पर्वतीय क्षेत्रों में **SHE मार्ट्स** – महिला उद्यमिता, आजीविका एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किए जाने के सुझाव दिए गए।
- **जिम कॉर्बेट को वेडिंग डेस्टिनेशन हेतु सब्सिडी / GST राहत** – पर्यटन निवेश बढ़ाने एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु दिए जाने के सुझाव दिए गए।
- **पिंक टॉयलेट सहित गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक पर्यटक सुविधाएं** – लैंगिक समानता, स्वच्छता और समावेशी पर्यटन सुनिश्चित करने हेतु विकसित करने के सुझाव दिए गए।
- **पूर्णागिरि मेला हेतु स्थायी आधारभूत ढांचा (some permanent foundation structure)** – वर्षभर आयोजन, सुरक्षा एवं श्रद्धालु सुविधा बढ़ाने हेतु विकसित किए जाने के सुझाव दिए गए।
- राज्य के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और सौंदर्यकरण किए जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही **अल्मोडा** को **हैरिटेज शहर** के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रयास किए जाने का सुझाव दिया गया।

- चारधाम, पुराण व प्राचीन ग्रंथों पर संस्कृत / हिंदी / गढ़वाली / कुमाऊनी भाषाओं में कॉमिक्स से AVGC-XR नीति को प्रोत्साहन का सुझाव दिया गया।
- IFMS में AI/ML आधारित मॉड्यूल से बजट पूर्वानुमान (budget forecasting) आदि को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए।
- पर्वतीय मत्स्य पालन में ग्रीष्मकालीन जल कमी हेतु जल पंप, गुणवत्तापूर्ण बीज-आहार व मछली पकड़ने के उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने से आजीविका सुदृढ़ करने के सुझाव दिए गए।
- बट्टी गाय के घी की ब्रांडिंग व निर्यात बढ़ाकर किसानों की आय एवं राज्य की पहचान सशक्त करने के सुझाव दिए गए।
- उद्योगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने की बात की गई।
- सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण किए जाने का सुझाव दिया गया।
- राज्य में ऊर्जा संकट का समाधान किए जाने के सुझाव दिए गए। (Energy Infrastructure for Industry)
- राज्य में ऊर्जा नेटवर्क को मजबूत करने के सुझाव दिए गए।
- राज्य में कृषि आधारित उद्योगों पर जी०एस०टी० को कम करने के सुझाव दिए गए।
- मण्डी शुल्क को 2.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया।
- सिडकुल उद्योगों को रियायती/निःशुल्क भूमि, सहयोगी पर्यावरण प्रावधान, प्रदूषण नियंत्रण बजट, घोस्ट विलेज पुनर्जीवन कार्यक्रम, अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा एकल कर व्यवस्था से उद्योग, रोजगार और राज्य राजस्व सुदृढ़ करने के सुझाव दिए गए।
- शहर के विकास और सफाई पर ध्यान देने के साथ-साथ बजट का समान वितरण किए जाने का सुझाव दिया गया।
- राज्य के नगर निगमों/नगर पालिकाओं को मजबूत बनाने के लिए अधिकतम संसाधन प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया।
- राज्य में पलायन को रोकने के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान किए जाने के सुझाव दिए गए।
- ग्रामीण विकास बजट – जिला पंचायत का अधिकांश बजट वेतन इत्यादि में खर्च होने के कारण विकास कार्यों के लिए बजट का अभाव रहता है जिस कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इस सम्बन्ध में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट, आवंटित किए जाने का सुझाव दिया गया।
- पर्यटन के क्षेत्र में ऐग्री टूरिज्म पर फोकस किए जाने का सुझाव दिया गया। इसके अन्तर्गत गाँवों में ऐग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिशन मधु, मिशन कीवी, मिशन ऐप्पल, मिशन मशरूम जैसे कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही गई।

13. सभी हितधारकों के संवाद उपरांत श्री आर० के० सुधांशु, प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा संबोधन किया गया। उन्होंने कहा कि बजट-पूर्व संवाद के माध्यम से लोगों में जो जागरूकता देखने को मिल रही है, वह विकसित उत्तराखण्ड की परिकल्पना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंच पर उपस्थित सचिव (वित्त), अन्य समस्त सचिवगण, अधिकारीगण, शिक्षाविद, विभिन्न प्रतिनिधि समूहों के प्रतिनिधिगण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापार एवं उद्योग से जुड़े उद्यमी, लखपति दीदी, प्रगतिशील कृषक तथा लाभार्थियों की सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि समाज का प्रत्येक वर्ग विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकसित उत्तराखण्ड 2047 एवं 2050 की परिकल्पना के अनुरूप इस प्रकार का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी इस जनसंवाद की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे संवाद राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि नीति निर्माण अधिक समावेशी, पारदर्शी और जन-आकांक्षाओं के अनुरूप हो सके।

14. कार्यक्रम के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं पर अपना व्यक्तव्य प्रकट किया गया :-

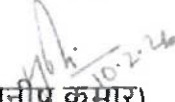
- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और हर गाँव को गोद लेने की बात कही गई, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नया संकल्प लेने एवं नई दिशा तय करने की बात कही गई जिससे हमारा राज्य 2047 तक प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हो सके।
- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्ड ने फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो कि हमारे राज्य के लिए गर्व का विषय है।

अतः कार्यक्रम के समापन की ओर मा० मुख्यमंत्री जी ने प्रबुद्धजनों के अमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासित किया कि प्राप्त सुझावों का सम्यक परीक्षण उपरांत आगामी बजट में शामिल किया जाएगा, जो राज्य के सतृप्त विकास का रोडमैप होगा।

संलग्नक: कार्यक्रम की उपस्थिति सूचियाँ।

भवदीय,


(मनीष कुमार)
जिलाधिकारी, चम्पावत।

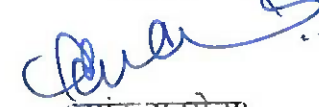
कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।

पत्रांक: 955 / को० अधि० / 2025-26 दिनांक 09.02.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव महोदय, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव (वित्त) महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव (वित्त) महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री मनमोहन मैनाली, अपर सचिव (मा० मुख्यमंत्री), उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक महोदय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. कार्यालय प्रति।

भवदीय,


(मयंक सक्सेना)
कृते वरिष्ठ कोषाधिकारी / नोडल अधिकारी (कार्यवृत्त)
बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम,
एन० एच० पी० सी० बनबसा, चम्पावत।

Registration Counter No. 02 (Delegates)

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 2026-27 बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम

स्थान- एन0एच0पी0सी0 बनबसा परिसर, चम्पावत

दिनांक 7 फरवरी, 2026

क्र.सं.	Delegates Name	संगठन का नाम एवं पता	मो0 नं0	हस्ताक्षर
1-	Skyam Dath	Michael Leary Matsey, Juv Sachdevi, Sonmali, Garmahga	9919152486	
2-	Ganesh Singh	Prakashchher Matsy DVI Sachdevi, Sonmali, Garmahga	9690199693	
3-	Rohit Singh Mahay	Prout formong vill. Kathmandu, Nepal	7465949301	
4-	कृति मिश्र	C A	9811767100	
5-	श्री अतन खुराना	C A	9822222222	
6-	श्री लजमिश्र	C A	9808452400	
7-	श्री चंकुज मजडवाल	C A	8654534005	
8-	श्री अंकिता प्रताप सिंह	C A	8192006701	
9-	श्री बलजीत सिंह	C A		
10-	श्री अंजना	उत्तरांचल प्रदेश उत्तरांचल प्रदेश, इलाहाबाद		
11-	Bhagwan Singh	Paricham Bhandari Party	843693521	
12-	Puckar Dutt Kaphi	Welding	9554944000	
13-	Harvarya Singh	Roskce	80773487	
14-	Rishi Singh	Roskce	927061234	
15-	Khem raj Khunwal	Haldwani	9045900390	
16-	Apoorv Singh	Dehraun Socce Engineering	7060855338	
17-	Bhuvan Singh	Forming	9955840117	
18-	Madhush Singh	Forming	9750115370	

क्र.सं.	Delegates Name	संगठन का नाम एवं पता	मो0 नं0	हस्ताक्षर
19-	अमित	अमित	9811767100	
20-	अमित	अमित	9811767100	
21-	अमित	अमित	9811767100	
22-	अमित	अमित	9811767100	
23-	अमित	अमित	9811767100	
24-	अमित	अमित	9811767100	
25-	अमित	अमित	9811767100	
26-	अमित	अमित	9811767100	
27-	अमित	अमित	9811767100	
28-	अमित	अमित	9811767100	
29-	अमित	अमित	9811767100	
30-	अमित	अमित	9811767100	
31-	अमित	अमित	9811767100	
32-	अमित	अमित	9811767100	
33-	अमित	अमित	9811767100	
34-	अमित	अमित	9811767100	
35-	अमित	अमित	9811767100	
36-	अमित	अमित	9811767100	
37-	अमित	अमित	9811767100	
38-	अमित	अमित	9811767100	
39-	अमित	अमित	9811767100	
40-	अमित	अमित	9811767100	

Registration Counter No. 04 (सचिव स्तरीय अधिकारी)

मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 2026-27 बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम

स्थान- एन०एच०पी०सी० बनबरा परिसर, चम्पावत

दिनांक 7 फरवरी, 2026

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद-नाम	मा० न०	हस्ताक्षर
1.	श्री आर. डी. सुप्रकाश	प्रधान सचिव		
2.	श्री विनीत कुमार	महानिदेशक		
3.	श्री रमेश कुमार	उपनिदेशक		
4.	श्री रमेश कुमार	उपनिदेशक		
5.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
6.	श्री रमेश कुमार	उपनिदेशक		
7.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
8.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
9.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
10.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
11.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
12.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
13.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
14.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
15.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
16.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
17.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
18.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		
19.	श्री मन्मथ कुमार	उपनिदेशक		

Registration Counter No. 05 (कार्मिक)

मा10 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 2026-27 बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम

स्थान- एन0एच0पी0सी0 बनबसा परिसर, चम्पावत

दिनांक 7 फरवरी, 2026

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	मो नं०	हस्ताक्षर
1.	Kaun Kant Yadava	Pitching Inspector	9540798292	
2	Sudast Pandey	Pandey CGRA	82972513878	
3	Mr. Mukesh Kumar	19.10	67945720788	
4	Mr. Vijay Krishna	A.P.	7526886191	
5	Dr. Nagesh Singh	Examiner	9557654101	
6	Shani Singh	former	8131954951	
7	Mohan Singh Negi	S.M.I. (Hosts)	9411167802	
8	Mang Kumarbain	STO	89237920308	
9	Aman Joshi	A.A.	8057942222	
10	Sunny Saini	J.E.	9634939421	
11	Bhupendra Meena			
12	Ramesh Singh Rathi	B.M.M.	9917182081	
13	Kishore Chandel Sharma	D.T.E.	9037080351	
14	Mukherjee Anand	B.M.M.	7017972031	
15	Deepa Rani	B.M.M.	88063872005	
16	Asha, Sarmanant	B.M.M.	9639415201	
17	Mitima Chandelrai	A.C. M.M.	7508064163	
18	Chandrar Shalika Mahto	R.P.C.	75009229207	
19	Nakul Singh	A.T.O	9260375940	

क्र.सं.	कार्यिक का नाम	पदनाम	मो नो	हस्ताक्षर
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				

क्र.सं.	कार्यिक का नाम	पदनाम	मो नो	हस्ताक्षर
20	Saurabh Choudhary	A.E. DLT/A	8071401040	(S)
21	Aldeva Dill	L.E.O	9690181032	(S)
22	Nitin Joshi	Asst. Secy.	7838377364	(S)
23	Dr. Prateek Bhatnagar	V.O, Chem.	6395996122	(S)
24	Dr. Rahul Jindal	V.O, Bldg		
25	Dr. Deepak Kumar	V.O, Mining		
26	Dr. Dhruv Adhikari	V.O,		
27	Dr. Farhan	V.O, Densm.		
28	Dr. T. P. Yadav	V.O, Densm.		
29	Dr. J. P. Yadav	V.O, Densm.		
30	Dr. Rajesh Singh	V.O, Paki		
31	Dr. Shunil Singh	V.O, Kgdh		
32	Sh. Vinendra Baidari	PS GM SIDDL	9917492605	(S)
33	Sh. Mahesh Singh	PRD PSE/Engrg	9389436215	(S)
34	Dr. Vijayendra Prasad	V.O Panshar		
35	Dr. Pratishtha Singh	V.O, Bldg		
36	Sh. Rana Singh	Asst. Agricultural Officer	9304981084	(S)
37	Sh. Sanjeev Bhatnagar	A.E., PWD	7411800740	(S)
38	Sh. Prakash	Treasury	6385551011	(S)
39	Chitra Joshi	Mining Officer	8755040076	(S)
40	Vikas Singh Negi	DM (DSC)	8077765265	(S)
41	Rajya Rawat	AM (DIC)	63988003736	(S)

प्रतिष्ठा में,

माननीय मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड

देहरादून

विषय -

बजट पूर्व परामर्श

सन्दर्भ -

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

दि 20/02/2026

मान्यवर,

पुनः बजट पूर्व परामर्श की स्वस्थ परम्परा को अनवरत रखने हेतु हृदय से आभार ! औद्यानिकी के बजट सन्दर्भ में निम्न बिन्दु प्रस्तुत हैं।

1. राज्य की सभी राजकीय पौधशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक जनपद के Nursery Development Officer को जनपद की जलवायु के अनुरूप Nucleus Fund देकर पौधशालाओं को Target के साथ पौध ~~उत्पादन~~ उत्पादन कराया जाय (Quality Planting Material).
2. राज्य में Stone Fruit Mission संचालित करने हेतु बजट का प्राविधान रखा जाय।
3. स्वैच्छिक चकबन्दी करने वाले कृषकों के प्रोत्साहन हेतु घेरनाड़ / आदि की व्यवस्था हेतु बजट प्रावधान,
4. निःशुल्क वाली सभी योजनाएँ यथा दवा, खाद, बीज, पौध को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाय,

सादर

(कुन्दन सिंह)

20/02/2026

(कुन्दन सिंह पैवार)

उद्यान पंडित

गा.पो. पाव सिलावाड़

वाया - सिंगीसरा

रिहरी गझान

(9411313306) 249186

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तराखण्ड सरकार

मुख्य सचिव, वित्त
कृ.भावस्थान कार्यवाही के निर्देश हेतु

20/2/2026

(सुभाष चन्द्र)
दिवस अधिकारी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विषय:- बजट में पंचायतों हेतु विशेष प्राविधान करने बाबत।

बजट पूर्व संवाद के इस कार्यक्रम में हम पंचायत प्रतिनिधि को आमन्त्रित करने के इस अभिनय प्रयोग में आपका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, पंचायतों के हित को देखते हुए बजट में निम्न प्राविधान करने पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

1. क्योंकि उत्तराखण्ड पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। हर वर्ष यहां लाखों पर्यटक आते हैं पंचायतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। क्योंकि पंचायतों के पास सीमित संसाधन हैं, इन सीमित संसाधनों से पंचायतें पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है, जिसका पंचायतों की विकास योजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः बजट में पर्यटन यात्रा सम्बन्धित जिलों हेतु पंचायतों के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाए।

2. पंचायत राज्य के हरित क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए लगभग प्रयासरत है। जिस कारण उत्तराखण्ड हरित क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान रखता है। परन्तु ग्रीन बोनस के रूप में पंचायतों को कोई अनुदान देय नहीं है। अतः बजट में पंचायतों के लिए ग्रीन बोनस की व्यवस्था की जानी पंचायतों के हित में रहेगी।

3. उत्तराखण्ड ही नहीं पूरे देश में कूड़ा निस्तारण एक गम्भीर समस्या के रूप में उभरा है, पर्यटन बाहुल्य राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में भी कूड़े की समस्या का समाधान अपने आप में भी चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो रहा है। कूड़े निस्तारण की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी गई है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई की जिम्मेदारी पंचायतों को सुपुर्द की गई है। लेकिन पंचायतें संसाधन न्यून होने के कारण इस समस्या के समाधान में सफल नहीं हो पा रही हैं। बजट में पंचायतों हेतु मानवीय/वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर स्वच्छ भारत विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है।

4. जिला पंचायत के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय हेतु बजट में प्राविधान किया जाए।

50/23/26 (D) fin

कार्यालय प्रमुख सचिव
पत्र संख्या 413
दिनांक 23/2/26

(रमेश कुमार सुधाशु)
प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन
23/2/26

अध्यक्ष (विन-1)

20/02/2026
(अच्युत प्रसाद बजपेयी)
वरिष्ठ प्रमुख-निजी सचिव
उत्तराखण्ड शासन

भवदीय,
(मान सिंह रौतेला)
मान सिंह रौतेला
जिला पंचायत उपाध्यक्ष
टिहरी गढ़वाल।

20/2/26
(14/XXV/14/26)

जय बंदी

AS-17-1 (6571AS)

पृष्ठ संख्या 17/1

जय केदार

0017/XXVII.26



उद्योग व्यापार मण्डल खाँकरा

(विनोद कुमार)
निजी सचिव-अपर सचिव
वित्त जलान वन
उत्तराखण्ड शासन

पता- ग्राम व पो0 खाँकरा, जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

Email- bbmamgai@gmail.com

(सुभाष चन्द्र)
दिवस अधिकारी
मुख्यालय
मो0- 9411352872

पत्रांक 24/2/26

पत्र संख्या 416
दिनांक 23/2/26

(रमेश कुमार सुधाशु)
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन
दिनांक 20-2-26

उपस्थिति (किता-1) श्रीमान पुष्कर सिंह घामी जी
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 'बजट पूर्व संवाद' कार्यक्रम
में होम स्टे योजना के समल संचालन के सम्बंध में सुझाव

① मधेस पहाड़ी जिले में होम स्टे योजना का प्रमुख लाभ बनत जा रहा है लेकिन वर्तमान में पर्यटन व्यवसाय का आनलाइन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है होम स्टे योजना ग्रामीण परिवेश में देने के कारण उचित आनलाइन प्लेडार्म से नहीं जुड पा रही है. हमारा सुझाव है राज्य सरकार (D.M.A) और उत्तराखण्ड में चलने वाले दूर आपरेटर्स के साथ मिलकर होम स्टे की चेन बनाकर एक मजबूत आनलाइन एवं आनलाइन प्लेडार्म विकसित करे - जिससे हितधारकों की आर्थ में प्रति है.

2- होम स्टे एक सूक्ष्म आवासीय पर्यटन व्यवसाय है कृपया इसे G.S.T और अन्य करों से मुक्त रखा जाय

3- मधेस होम स्टे योजना खासकर पहाड़ी जिले में पलायन रोकने में कारगर साबित हो रही है वर्ष भर हितधारकों की रोजगार में मिले इसके लिए समय-समय पर जिलाधिकारियों के साथ हितधारकों की बैठक सुनिश्चित की जाय जिसकी राज्य सरकार समीक्षा करे एवं आवश्यक कार्रवाही सुनिश्चित करे में अपना सहयोग प्रदान करे

501
20.2.26

दिनांक 20.2.26

मुख्यालय
मो0- 9411352872
निधिवारिका होम स्टे
खासकर उत्तराखण्ड